में दिया जाता है। यही स्थिति शुगर डेवलपमेंट फंड की है। किसानों के लाभार्थ, उनके रिसर्च के लिए, गन्ने की फसल के बचाव के लिए, किसानों की भलाई के लिए उसमें से कभी पैसा नहीं दिया गया, यह मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं। इस प्रकार की मनमानी कैसे चलेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि सहकारी क्षेत्र के जो कारखाने हैं उनका प्रबंध सरकारी अधिकारी करते हैं। प्रबंध नहीं कुप्रबंध करते हैं। इस प्रकार सारी मिलें घाटे में चल रही हैं। पिछले 19 सालों से मिल के प्रबंध बोर्डों के चुनाव नहीं कराए गए। उनको वहां के पी.सी.एस. आफिसर चलाते हैं। एक-एक पद पर जाने के लिए वे कई-कई लाख रुपया रिश्वत देते हैं कि हमारी वहां नियुक्ति कर दी जाए। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सब की जांच होनी चाहिए।

उपसभापति महोदया, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में गन्ने की आपूर्ति में बहुत धांधली है। कंप्यूटर से नकली पर्चियां उन लोगों की निकली जिनके खेत में गन्ना नहीं था और गन्ना उगाने वाले किसानों को पर्चियां नहीं दी गईं। दो सौ, तीन सौ, पांच सौ रुपये में वैसा किया गया और जो दूसरे छोटे-छोटे इकाई वाले थे वहां किसानों का 64 प्रतिशत गन्ना 25 रुपये में बिका है। शिन्दे जी मेरी बात सुन लीजिए।

उपसभापति: शिन्दे जी आपका जवाब नहीं देंगे।

श्री सोमपाल: मैं उनका समर्थन चाहता हूं इसलिए उनको बार-बार कह रहा हूं।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: ऐसा लगता है कि हमें उत्तर प्रदेश में जाकर राज करना पड़ेगा।

श्री सोमपाल: उपसभापति महोदया, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि 67 प्रतिशत गन्ना पिछले साल तक और इस वर्ष 64 प्रतिशत गन्ना 35 रुपये में बिका है और 70 रुपये में मिल के ऊपर बिका है। यह इसलिए हुआ कि वहां क्षमता पूरी नहीं है, लाइसेंस पूरा नहीं है और इनके प्रदेश में 30-32 इकाइयों के लाइसेंस पड़े हैं, वहां मिलें लगती नहीं हैं। यहा लाइसेंस मांगते हैं लोग लेकिन दिये नहीं जाते है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर क्षेत्र की सीमा रखनी हो या आपको फसल नियोजन कराने का अवसर देना हो तो मिल से किसान का सीधा संबंध हो। इसको आप खोल दीजिये। 160—65 लाख टन चीनी इस बार बनी है और हमारी आवश्यकता 125—30 लाख टन है। पिछला स्टॉक पड़ा है। अगले तीन साल तक चीनी की कमी की कोई भी संभावना नहीं है। मैं चाहूंगा सरकार सहकारी मिलों के क्षेत्र को छोड़ कर बाकी को खुला छोड़ दे। खांडसारी उद्योग पर लगा हुआ अन्यायपूर्ण प्रतिबंध जो ब्रिटिश सरकार की जानी मानी नीति थी अपने पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए उसको समाप्त कर दिया जाए। केवल आधा देने का आदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया ...(व्यवधान) किसान विकास पत्र दे दिये जाएं तो 10 वर्ष तक किसान को पैसा नहीं मिलेगा। मैं इसकी निंदा करता हूं और इसका विरोध करता हूं। पूरा पेमेंट हमको इस महीने में या 15 अगस्त तक दिलवाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2 o'clock.

The House, then, adjourned for lunch at eleven minutes past one of the clock.

The House ressembled after lunch at five minutes past Two of the clock.

The Vice-Chairman (Miss Saroj Khaparde) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): You have to make some announcement, Mr. Parliamentary Affairs Minister. The Parliamentary Affairs Minister would like to announce the Government Business for the next week.

STATEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 22ND JULY, 1996

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): With your permission, Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 15th July, 1996 will consist of:—

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Discussion on the Saturday Resolution seeking disapproval of the following ordinances and consideration and passing/return of the Bills replacing these ordinances as passed by Lok Sabha:—
   (a) The Supreme Court and High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Ordinance, 1996.

(b) The Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Ordinance, 1996.

(c) The Building and Other Construction Workers Welfare Cess Ordinance, 1996.

(d) The Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Amendment Ordinance, 1996.

3. General Discussion on the Railway Budget for 1996-97.

4. Consideration and the Return of the Railway Appropriation Bill, 1996 relating to Demands for Grants on Account (Railways) for 1996-97, as passed by Lok Sabha.

5. General Discusson on General Budget for 1996-97.

As Members are aware, the General Budget for 1996-97 will be laid on the Table of the Rajya Sabha at 6.00 P.M. on Monday, the 22nd July, 1996. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Now, we will take up the Calling Attention Motion.

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Non-Payment of Sugar-cane prices to Growers—Contd.

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): मैडम, सुशील कुमार शिन्दे जी ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि के भुगतान पर दिया है और उस पर बयान माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं कि चीनी उद्योग देश का एक बहुत बड़ा उद्योग है जो कृषि से संबंधित है और यह किसानों से संबंधित है और जिस तरह से राज्यवार ब्यौरा है कि किसानों को भुगतान समय पर नहीं किया जाता है जिसके कारण आज सारे देश में और खास कर हमारे बिहार प्रदेश में, मंत्री जी उसी प्रदेश के हैं, वैसे सारे देश के मंत्री हैं, लेकिन बिहार की स्थिति से वह पूर्णत: अवगत है कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा चीनी मिलों का बंद है और लगातार कई वर्षों से बिहार के गन्ना उत्पादक जो किसान हैं उनको गन्ने की कीमत का भुगतान नहीं हो रहा है और इस तरह से आप देखेंगे कि 1993-94 में 11 करोड़ 31 लाख बकाया था। 1994-95 में 14 करोड़ 73 लाख और 1995-96 में आप देखेंगे तो 128 करोड़ रुपया बकाया है। ऐसे कुल मिलाकर 221 करोड़ 9 लाख की बकाया राशि का भुगतान करना था, लेकिन 128 करोड़ 72 लाख का भुगतान किया गया है। इस प्रकार अभी भी लगभग उन की आधी राशि बकाया है। अभी भी किसानों का 128 करोड़ रुपए का बकाया पड़ा हुआ है। यह सिर्फ बिहार का ही सवाल नहीं है, देश के सभी प्रदेशों का कमोवेश बकाया भुगतान का सवाल उठता है। अभी यह संयुक्त मोर्चे की सरकार ने एलान किया है और प्रधान मंत्री जी ने भी एलान किया है कि यह जो नया बजट आने वाला है, उस में भी उन का कहना है कि देश में यह संदेश जाना है कि यह सरकार किसानों की सरकार है, यह सरकार गरीबों की सरकार है, यह सरकार असहाय लोगों की सरकार है जिन्हें कि सहारा देकर यह सरकार ऊपर उठाना चाहती है।

महोदया, हमारे देश में किसानों की सबसे बड़ा संख्या है। यहां लगभग 80-85 प्रतिशत आबादी किसानों की है और उस में गन्ना उपजाने वाले जो किसान हैं, वह चीनी मिल मालिकों से, उन की नीतियों से और समय पर भुगतान नहीं किए जाने से काफी उत्पीड़िन और शोषण का शिकार रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव होगा कि इस में जो कठिनाइयां हैं, किसानों की कठिनाइयों को, उन के घाटे को दूर करने के लिए और उन को लाभ पहुंचाने के लिए क्या किया जा सकता है, यह सरकार देखे और मिल के प्रबंधन पर भी विचार करे। महोदया, मैं यह नहीं कहता कि एकपक्षीय विचार हो, लेकिन चीनी उद्योग देश में काफी विकसित हो सके और उस का लाभ किसानों को सही मायने में मिल सके। किसानों को उन की बकाया राशि का समय पर भुगतान नहीं होने के कारण गन्ना उत्पादन करने में भी कठिनाई आ रही है, इस सिलसिले में भी मैं चर्चा करना चाहता हूं कि बिहार की बहुत सारी मिलें बंद हैं। वहां किसान मजबूर होकर गन्ना उपजाने के बजाय खैनी उगा रहे हैं। अगर यह स्थिति बनी तो इस चीनी उद्योग का क्या होगा? अगर चीनी उद्योग पीछे जाता है तो हमारे अर्थ-तंत्र पर भी इस का बुरा असर पड़ेगा और किसानों के जीवन स्तर पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो इन सारी बातों पर गंभीरतापूर्वक सरकार को विचार करना चाहिए और मैं समझता हूं कि चीनी उद्योग को पूर्ण रूप से संगठित करने की दिशा में और किसानों को लाभ मिले और सही ढंग से यह उद्योग चल सके, इस दिशा में सरकार को ठोस नीति का निर्धारण करना चाहिए।